

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09102020-222327 CG-DL-W-09102020-222327

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2020, शनिवार / आश्विन 5 —आश्विन 11, 1942 No. 30] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2020, SATURDAY/ASVINA 5— ASVINA 11, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2020

सा.का.िन. 132.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रयोगशाला खंड(समूह क और ख पदों), भर्ती नियम,2018 को जहाँ तक उसका संबंध मुख्य रसायनज्ञ के पद से है उन बातों के विषय में अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। कृषि और किसान

4361 GI/2020 (855)

autonomous bodies or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory.

Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

[F. No. 12018/2/2013-M.I]

MEENA K. KERKETTA, Under Secy. (M-I)

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका सम्बन्ध सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टू में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- **1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टू, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 4. निरर्हता. —वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह कि संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है या	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय लिपिक	01* (2020)	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच।
	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग',	स्तर-2 (19900-		टिप्पण 1 :- केन्द्रीय
	आधार पर	अराजपत्रित,	63200 रु)		सरकार द्वारा जारी किए
	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय			गए अनुदेशों या आदेशों
	जा सकता है	अनुसाचवाय			के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य
					अभ्यर्थियों की दशा में
					40 वर्ष तक तथा
					अनुसूचित जाति और
					अनुसूचित जनजाति के
					अभ्यर्थियो की दशा में
					45 वर्ष तक शिथिल की
					जा सकती है।
					टिप्पण 2 :- आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख
					होगी । (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
	1			l	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

		सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र
		लद्दाख, हिमाचल प्रदेश
		के लाहोल और स्पीति
		जिले तथा चम्बा-जिले के
		पांगी उपखंड, अंडमान
		और निकोबार द्वीप या
		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के
		लिए विहित कि गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	लागू होंगी (8)	(9)	(10)
` '	्रागू नहीं होता	्र) दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से	લામૂં પણ હાલા	પા પવ	पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12वी उत्तीर्ण या समतुल्य ।			। पर प्रातानयुक्ति द्वारा 
किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय			
विज्ञान पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या			
प्रमाणपत्र।			
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या			
संस्था से कंप्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम में			
डिप्लोमा या प्रमाणपत्र ।			
वांछनीय :-			
किसी स्थायी चिकित्सा पुस्तकालय में			
उत्तरदायी क्षमता में एक वर्ष का अनुभव ।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति :-	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में	लागू नहीं होता।
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.—	
63200/-रु) में ऐसे केन्द्रीय सरकारी	1.अपर निदेशक -अध्यक्ष;	
कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है सहित उस श्रेणी में	2.उपनिदेशक (ईपिड) - सदस्य;	
दो वर्ष की नियमित सेवा की है और जो	3.सहायक निदेशक (सर्जिकल) -सदस्य;	
स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने	4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य ।	
वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते है।		

[फा.सं. ए-12018/34/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd September, 2020

- **G.S.R.** 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Assistant Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Library Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or	Age-limit for direct recruits
				non-selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Clerk	01* (2020)	General Central	Level-2 in the	Not	Between 18-25 years.
	*subject to	Service Group	pay matrix	applicable	<b>Note1:</b> Relaxable for the
	variation	'C'	(Rs.19900-63200)		Government servants
	dependent on	Non-Gazetted/			upto forty years in case
	workload	Non-Ministerial			of general candidates
					and upto forty-five years
					in the case of candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes and
					the Scheduled Tribes in
					accordance with the
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government.
					Note 2: The crucial date
					for determining the age-
					limit shall be the closing
					date for receipt of
					applications from
					candidates and not the

		closing dat	e prescribed
			in Assam,
		Meghalaya,	Arunachal
		Pradesh,	Mizoram,
		Manipur	Nagaland,
		Tripura, Sil	kkim, Union
		territory o	of Ladakh,
		Lahaul and	Spiti District
		and Pangi	Sub-Division
		of Chamba	District of
		Himachal	Pradesh,
		Andaman a	and Nicobar
		Islands	and
		Lakshadwee	ep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation /absorption and percentage of the
	1		post to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable	Two years	By direct recruitment,
Passed Senior Secondary or			failing which by
equivalent from a recognised Board			deputation
Diploma or certificate course in			
Library Science from a recognised			
institution.			
Diploma or certificate course in			
Computer Application from a			
recognised University or institution.			
<b>Desirable:</b> One year experience in			
a responsible capacity in a Medical			
Library of standing.			

In case of recruitment by promotion	If a Department Promotion Committee exists,	Circumstances in which
or deputation/ absorption, grades from	what is its composition	Union Public Service
which promotion or deputation/		Commission is to be
absorption to be made		consulted in making
-		recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation:-	Group 'C' Departmental Confirmation	Not applicable
Central Government employees	Committee (for considering confirmation)	
holding analogous posts on regular	consisting of :-	
basis in the level 2 in the pay matrix	1. Additional Director -Chairman;	
(Rs.19900-63200) with two years	2. Deputy Director (Epid) -Member;	
regular service in the Grade and	3. Assistant Director(Surgical) -Member;	
possessing the qualifications	4. Administrative officer -Member.	
prescribed for direct recruits under		
column (7).		

[F. No. A-12018/34/2019-Lep.]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

# नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

- सा.का.नि. 134 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, (पैरा चिकित्सीय कर्मकार) भर्ती नियम, 2001, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आस्का, ओड़िशा, पैरा चिकित्सीय कर्मकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:--
- **1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा, पैरा चिकित्सीय कर्मकार (समुह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के संतभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता. —वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- **5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.व्यावृति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) पैरा चिकित्सीय कर्मकार	(2) 02 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700- 69100 रु)	(5) लागू नहीं होता	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच। टिप्पण 1:केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जातियों या

Т	1		
			अनुसूचित जनजातियों
			की दशा में पैंतालिस वर्ष
			तक शिथिल की जा
			सकती है ।
			<b>टिप्पण 2</b> :- आयु-सीमा
			अवधारित करने के लिए
			निर्णायक तारीख भारत
			में अभ्यर्थियों से आवेदन
			प्राप्त करने के लिए नियत
			की गई अंतिम तारीख
			होगी। (न कि वह अंतिम
			तारीख जो असम,
			मेघालय, अरुणाचल
			प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
			नागालैंड, त्रिपुरा,
			सिक्किम, केन्द्रशासित
			प्रदेश लद्दाख, हिमाचल
			प्रदेश के लाहोल और
			स्पीति जिले तथा चम्बा-
			जिले के पांगी उपखंड,
			अंडमान और निकोबार
			द्वीप या लक्षद्वीप के
			अभ्यर्थियो के लिए
			विहित कि गई है।)
			<b>टिप्पण 3</b> : रोजगार
			कार्यालय के माध्यम से
			आने वाले अभ्यार्थियों की
			दशा में आयुसीमा
			अवधारित करने के लिए
			निर्णायक तारीख वह
			अंतिम तारीख होगी जिस
			तक रोजगार कार्यालय से
			नाम भेजने के लिए कहा
			गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों कि दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1.किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण। 2.किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पैरा चिकित्सीय कर्मकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र रखता हो। टिप्पणः अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रति-नियुक्ति या लंबी बीमारी या अघ्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

			employment
			exchange is asked to
			submit the names.
Educational qualifications	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment whether
required for direct recruits	qualification prescribed for	probation, if any	by direct or by promotion or
	direct recruits will apply in		by deputation and percentage
	the case of promotion		of the vacancies to be filled by
			various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1. Passed Matriculation from a	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment.
recognised Board.			Note:- Vacancies caused by
2. Certificate of having passed			the incumbent being away on
Para Medical Worker Training			deputation or long illness or
Course from a recognised			study leave or under any other
Institute.			circumstances for duration of
<b>Note:</b> Qualifications are relaxable			one year or more may be filled
at the discretion of the competent			on deputation basis from
authority in case candidate is			amongst officers of the Central
otherwise well qualified.			Government:
			(a) holding analogous posts on
			a regular basis in the parent
			cadre or department; or
			(b) possessing the qualification
			prescribed for direct recruits
			under Column (7).

In case of recruitment by promotion or Deputation /absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted In making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Chairman; (2) Chief Medical officer of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; (3) Senior Medical officer of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; (4) A Gazetted officer from another Central or State Government office in the area - Member.	Not applicable

[F. No.A-12018/31/2018-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

# नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक इसका सम्बन्ध सफाई निरीक्षक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टू में सफाई निरीक्षक पद पर भर्ती की पिद्त का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्ट, सफाई निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफाई निरीक्षक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100 रु)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती

		है।)
		<b>टिप्पण 1</b> :- आयु-
		सीमा अवधारित
		करने के लिए
		निर्णायक तारीख
		भारत् में अभ्यर्थियों
		से आवेदन प्राप्त करने
		के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।
		(न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल
		प्रदेश, मिजोरम,
		मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम,
		केन्द्रशासित प्रदेश
		लद्दाख, हिमाचल
		प्रदेश के लाहोल और
		स्पीति जिले तथा
		चम्बा-जिले के पांगी
		उपखंड, अंडमान और
		निकोबार द्वीप या
		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के लिए विहित कि
		गई है।)
		टिप्पण 2:- रोजगार
		कार्यालय के माध्यम
		से आने वाले
		अभ्यर्थियों की दशा में
		आयुसीमा अवधारित करने के लिए
		करने के लिए निर्णायक तारीख वह
		अंतिम तारीख होगी
		जिस तक रोजगार
		कार्यालय से नाम
		भेजने के लिए कहा
		गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति: भर्ती
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	। यदि कोई हो	सीधे होगी या प्रोन्नति
	और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत		द्वारा या प्रतिनियुक्ति/

	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		आमेलन द्वारा तथा
			विभिन्न पद्धतियों द्वारा
			भरी जाने वाली रिक्तियों
			की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न
विज्ञान में बी.एस.सी।			हो सकने पर प्रतिनियुक्ति
2.मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक			द्वारा भरा जाएगा
पाठ्यक्रम में डिप्लोमा।			S
3. पाठ्यक्रम को सम्बन्धित राज्य के चिकित्सा			
शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना			
चाहिए।			
4.मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में स्वच्छता			
निरीक्षक या पर्यवेक्षक के रुप में कम से कम एक			
वर्ष कि अवधि तक कार्य करने का अनुभव हो ।			
टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों			
की दशा में सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार			
शिथिल की जा सकती है।			
टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं)			
सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित			
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा			
सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम			
प्राधिकारी कि यह राय है कि उनके लिए			
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित			
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों			
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना			
नहीं है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/	•	परिस्थितियों में संघ
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		लोक सेवा आयोग से
7.10	4.5	परार्मश किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार	लागू नहीं होता।
ऐसे व्यक्तियों में से जो वेतन मैट्रिक्स में	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.—	
स्तर-3 (21700-69100 रु) में, स्तम्भ (7)	1.अपर निदेशक –अध्यक्ष;	
मे उल्लखित 1, 2 और 3 आवश्यक अर्हता	2.सहायक निदेशक (शल्यचिकित्सकीय) -सदस्य;	
के साथ किसी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल में		
पांच वर्ष की नियमित सेवा किया हो। या ऐसे व्यक्तियों में से जो वेतन मैट्रिक्स में	4. प्रशासन अधिकारी -सदस्य।	
स्तर-4 (25500-81100 रु) में, स्तम्भ (7)		
में उल्लखित 1,2 और 3 आवश्यक अर्हता के		
साथ किसी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल में		
दो वर्ष कि नियमित सेवा किया हो,		
टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके		
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी		
अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से		

ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> [फा.सं. ए-12018/09/2019-कुष्ठ] बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

#### New Delhi, the 22nd September, 2020

- **G.S.R.** 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Sanitary Inspector, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Sanitary Inspector (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	Number Post	of	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Sanitary Inspector.	(2) 1* (2019) *subject variation dependent workload	to	General Central Service Group 'C', Non-gazetted, Non-Ministerial	(4) Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	1	Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.  Note 2: In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the employment exchange asked to submit the
						names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable	Two years	Direct recruitment failing
1. B.Sc. Chemistry from recognised			which by deputation.
University.			
2. Diploma in Sanitary Inspector course			
from a recognised Institute.			
3. The course should be recognised by			
the concerned State Directorate of			
Medical Education.			

4.Experience of having worked in recognised hospital as a Sanitar Inspector or Supervisor for the period of minimum one year  Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise we qualified.  Note 2: The Qualifications regarding experience are relaxable at discretion of the competent authority in the case that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserve for them.	f  t  y  l  g  f  t  e  e  n  s  e  e  e  e	
In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a department promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation:	Group 'C' Departmental Confirmation	Not applicable.
-		Not applicable.
From amongst persons holding	Committee (for considering confirmation)	
analogous post in level – 3 in the pay	consisting of:-	
matrix (Rs.21700-69100) with five	1. Additional Director - Chairman;	
years regular service in any central	2. Assistant Director(Surgical) - Member;	
Government hospital with the		
essential qualification of 1, 2 and 3	4. Administrative Officer - Member.	
mentioned in column (7). or		
From amongst persons holding		
analogous post in level – 4 in the pay		
matrix (Rs.25500-81100) with two		
years regular service in any central		
Government hospital with the		
essential qualification of 1, 2 and 3		
mentioned in column (7).		
<b>Note1:</b> Period of deputation including		
period of deputation in another Ex-		
cadre post held immediately		
preceding this appointment in the		
same or some other organization or		
department of the Central		i
Government shall ordinarily not to		
exceed three years.		
exceed three years.  Note2: The maximum age-limit for		
exceed three years.  Note2: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation		
exceed three years.  Note2: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation or transfer shall be not exceeding		
exceed three years.  Note2: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation		

[F. No. A-12018/09/2019-Lep] BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

# नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 136 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका सम्बन्ध फिटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टू में फिटर के पदो पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टू, फिटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह कि संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अथवा अचयन	वाले व्यक्तियों के लिए
				पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिटर	01* (2020)	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच।
	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग',	स्तर-2 (19900-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा
	) आधार पर	अराजपत्रित,	63,200 रु.)		जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
	परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय			या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के
	सकता है ।	जन <b>नु</b> साचवाय			लिए 40 वर्ष तक

		शिथिल की जा सकती
		है।)
		टिप्पण 1 :- आयु-सीमा
		~
		अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत
		निणायक ताराख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन
		प्राप्त करने के लिए नियत
		की गई अंतिम तारीख
		होगी । (न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल
		प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र
		लद्दाख, हिमाचल प्रदेश
		के लाहोल और स्पीति
		जिले तथा चम्बा-जिले के
		पांगी उपखंड, अंडमान
		और निकोबार द्वीप या
		लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के
		लिए विहित कि गई है।)
		टिप्पण2:- रोजगार
		कार्यालय के माध्यम से
		आने वाले अभ्यर्थियों की
		दशा में आयुसीमा
		अवधारित करने के लिए
		निर्णायक तारीख वह
		अंतिम् तारीख होगी जिस
		तक रोजगार कार्यालय से
		नाम भेजने के लिए कहा
		गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी कक्षा की परीक्षा पास की हो। 2.व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौन्सिल द्वारा संचालित या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड परीक्षा पास की हो। 3. फिटर के रुप में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उ	सकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(11)	(12)		(13)
प्रतिनियुक्तिः  (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन स्तर- 2 में सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए व्यक्तियों में से।  (ख) स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हतांए रखते हो।  प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिख 1.अपर निदेशक 2.उपनिदेशक (ईपीआईडी) 3.सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) 4. प्रशासनिक अधिकारी		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

[फा.सं. ए-12018/43/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2020

- **G.S.R. 136**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Fitter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fitter in the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, namely:
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Fitter (Group'C') Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fitter	01*(2020) *subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (relaxable upto 40 years in the case of departmental candidates in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).  Note1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  Note 2: In case of recruitment through employment exchange, the crucial date for determination of age in each case will be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.

Educational qualifications required	Whether age and Educational	Period of	Method of recruitment
for direct recruits.	qualifications prescribed for	probation if	whether by direct or by
	direct recruits will apply in	any	promotion or by deputation
	the case of promotion		and percentage of the post to
			be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1 Passed 10 <sup>th</sup> standard examination	Not applicable	Two years	By Direct recruitment
from a recognised board.			failing which by deputation
2. Passed fitter trade examination			

conducted by National Council for Training in the Vocational Trades  / Industrial Training Institute of Central Government or State		
Government.		
3. One year Experience as Fitter.		
In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a department promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation:-  (a) From amongst persons holding analogous or equivalent post in pay	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) Consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
level-2 under the Central Government. (b) Possessing qualification mentioned in the col.7	1. Additional Director - Chairman 2. Deputy Director(Epid) - Member 3. Assistant Director(Lab) - Member 4. Administrative Officer - Member	is not necessary.

[F. No. A-12018/43/2019-Lep.] BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

### नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 137 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 1980, जहाँ तक आशुलिपिक के पद से संबधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में आशुलिपिक ग्रेड-।। पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, चेंगलपट्टु, आशुलिपिक ग्रेड-।। (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the

closing date of receipt

applications).

- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

# 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
(4)	(0)	(0)	(4)	(5)	आयु-सीमा
(1) आशुलिपिक ग्रेड-II	(2)	(3) साधारण केन्द्रीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में	(5) लागू नहीं होता	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच
आशु।लापक ग्रड-11	04* (2020)	_	यतम माट्रक्स म स्तर-4 (25500-	लागू महा हाता	िस 27 येष के बाच टिप्पण 1:केन्द्रीय सरकार
	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	81100 रु.)		
	आधार पर	अराजपात्रत, अननुसचिवीय	01100 4.)		द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों
	परिवर्तन किया	जगगुताययाय			या आदेशों के अनुसार
	जा सकता है				सरकारी सेवकों के लिए
					साधारण अभ्यर्थियों की
					दशा में चालीस वर्ष तथा
					अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जनजातियों
					की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा
					तक ।शायल का जा सकती है ।
					<b>टिप्पण 2</b> :- आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत
					में अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए नियत
					की गई अंतिम तारीख
					होगी। (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम,
					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, केन्द्रशासित
					प्रदेश लद्दाख, हिमाचल
					प्रदेश के लाहोल और
					स्पीति जिले तथा चम्बा-

		जिले के पांगी उपखंड,
		अंडमान और निकोबार
		द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यार्थियो के लिए
		विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	व्यक्तियों के लिए विहित	अवधि, यदि कोई हो	या प्रोन्नति द्वारा या
	आयु और शैक्षिक अहर्ताएं		प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा
	प्रोन्नत व्यक्तियों कि दशा		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
	में लागू होंगी		वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । कर्मचारी चयन
समतुल्य ।			आयोग
कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख :80 शब्द प्रति			टिप्पण:-पदधारी के प्रतिनियुक्ति
मिनट @10 मिनट ।			या लम्बी बीमारी या अध्ययन
प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट			छुट्टी या किंन्ही अन्य
(हिन्दी)			परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे
(शारीरिक टाइपराइटर पर) या 50 मिनट			अधिक अवधि के लिए बाहर रहने
(अंग्रेजी), 50 मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर) ।			के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय
(3331), 30 11113 (18.41) (41. 42. 11)			सरकार के अधिकारियों में से
			प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी
			जा सकेगी जो मूल काडर या
			विभाग में नियमित आधार पर
			सदृश पद धारण किए हुए है; और
			जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन
			सीधे भर्ती किए जाने वाले
			व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक
			अर्हतांए और अनुभव है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार	लागू नहीं होता
	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.—	
	1.अपर निदेशक –अध्यक्ष	
	2. उपनिदेशक (इपीईडी) -सदस्य	
	3.सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) -सदस्य	
	4.प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य	

[फा.सं. ए-12018/45/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

#### New Delhi, the 24th September, 2020

- **G.S.R.** 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Stenographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II in the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, namely:
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Stenographer Grade II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5.** Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of	Classification	Level in .	Whether	Age-limit for direct
	post		pay matrix	selection post or	recruits
				non-selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer	4*(2020)	General Central	Level- 4 in	Not applicable	Between 18 and 27
Grade -II		Service, Group	the pay		years.
	*Subject to	'C', Non-Gazetted,	matrix		Note 1: Relaxable for
	variation	Non-Ministerial	(Rs.25500-		the Government servants
	dependent on		Rs.81100)		upto the age of forty
	workload				years in case of general
					candidates and upto the
					age of forty-five years in
					the case of candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes and
					the Scheduled Tribes in
					accordance with the
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government from time
					to time.
					Note 2: The crucial date
					for determining the age-
					limit shall be the closing

date for receipt of
applications from
candidates and not the
closing date prescribed
for those in Assam,
Meghalaya, Arunachal
Pradesh, Mizoram,
Manipur, Nagaland,
Tripura, Sikkim, Union
Territory of Ladakh,
Lahaul and Spiti District
and Pangi Sub-Division
of Chamba District of
Himachal Pradesh and
Union territories of
Andaman and Nicobar
Islands and
Lakshadweep.

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods
(7)  12 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board. Skill Test Norms Dictation: 10 Minutes @ 80 word per minute. Transcription: 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) (On Manual typewriter) or 50 minutes (English), 50 minutes. (Hindi) (On Computer).	(8) Not applicable	(9) 2 years	Direct recruitment. Staff Selection Commission Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits

In case of recruitment by	If a department promotion c	committee exists, what is	Circumstances i	n which
promotion or deputation	its composition?		Union Public	Service
/absorption grade from which			Commission is	to be
promotion or deputation/			consulted in	making
absorption to be made			recruitment	
(11)	(12)		(13)	
Not applicable	Group 'C' Departmental C	Confirmation Committee	Not applicable.	
	(for considering confirmation	n) consisting of:-		
	1. Additional Director	- Chairman;		
	2. Deputy Director(Epid)	- Member;		
	3. Assistant Director(Laborate	ory) - Member;		
	4. Administrative officer	- Member.		

[F. No. A-12018/45/2019-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.